

राष्ट्रपति

अनु० - 58 - योग्यता :-

अनु० - 102 :- लाभ के पद

→ इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया।

→ इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय में किया।

→ लाभ के पद पर निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास है।


① भारत का नागरिक हो।

② पूज्यतम और 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।

③ लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता।

④ लाभ के पद पर नहीं हो।

राष्ट्रपति के निर्वाचन



अनु०-54:- राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल

लोकसभा और विधानसभा

↓
सभी निर्वाचित

राज्य सभा ^{राष्ट्रपति}

↳ 12 सदस्य मनोनित है।

लोकसभा मतदान के भाग
जही लगेगा।

1- लोकसभा और राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य

2- विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य

3- दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा के
सभी निर्वाचित सदस्य।

Note:- दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा को
70वां C.A.A. 1992 के द्वारा राष्ट्रपति को मतदान का
अधिकार मिला।

अनु-55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति:-

↳ इसे आयरलेण्ड से लिया गया है।

↳ हस्ताक्षरिय, सकलमत, अनुपातिक, सक्रमणिय

प्रतिनिधित्व प्रणाली।

अप्रत्यक्ष

विधान सभा के एक सदस्य
का वैधमत

राज्य की कुल जनसंख्या

विधान सभा सदस्य की संख्या $\times 1000$

→ प्रत्येक राज्य के विधान सभा सदस्य का वैध मत भालाग हो।

संसद सदस्य के
वोट का वैध मत =

देश के कुल विधान सभा सदस्यों
का वैध मत

विजय मत - आधे से एक
अधिक मत.

संसद के दोनो सदस्यों के सभी
निर्वाचित सदस्य.

लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का वैध मत एक समान
होता है।

उदा०	राष्ट्रपति				
A	4	2	3	3	3
B	2	4	2	1	2
C	3	3	4	2	1

प्रथम वरिपता -

भड़ई से बाहर

A - एक

B - 2 वोट + 3 वोट
C - 2 वोट + एक

द्वितीय वरिपता.

Note :- राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए
50 अनुभोक्त और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता
पड़ती है।

⇒ सन् 1997 से पहले यह संख्या - 10-10 थी।

⇒ जमानत राशी 15000 रुपये RBI के नाम से जमा होता
है।

⇒ कुल पड़े वैध मतों का 6% से कम मत प्राप्त करता है।
तो जमानत राशी जलत हो जायेगा।

अनु०-56: राष्ट्रपति का कार्यकाल:-

महाभियोग द्वारा
किसको हटा सकते हैं?

केवल राष्ट्रपति

अन्य व्यक्ति- SC और HC

केन्यापाचीश, मुख्य

निर्वाचन आयोग, CAG अध्यक्ष

① शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक

② इससे पहले त्याग पत्र दे सकेगा।

↳ उपराष्ट्रपति को सौंपेगा

↳ त्यागपत्र की सबसे पहले सूचना लोक-
सभा भ्रष्टाचार को देगा।

③ महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं।

महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा

अनु०-57:- राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन:-

↳ भारत में राष्ट्रपति पद कई बार धारण कर सकते हैं।

Note:- सबसे अधिक 2 बार भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद रहे।

24 जन: 1950 को राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा चुना गया।

अनु०-59:- राष्ट्रपति के लिए शर्त:-

- * यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पूर्व किसी अन्य पद पर है तो राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जायेगा।